बिहार सरकार

<u>सहकारिता विभाग</u>

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक 25/11/25

संख्या–8 / नि0को0(रा0)विभागीय 710 / 2016 5878 / श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आई0सी0डी0पी0, अररिया में अनधिकृत रूप से 15 पैक्स एवं 01 राईस मिल स्थापना हेतु इकाई लागत मूल्य में वृद्धि कर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं महाप्रबंधक के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2419 दिनांक–08.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री झा के दिनांक–31.05.2022 को बार्धक्य सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2562 दिनांक–27.07.2022 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

संयुक्त निबंधक –सह– संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–175 दिनांक–09.07.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में श्री झा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये।

विभागीय पत्रांक–3012 दिनांक–20.10.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री झा को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उनसे लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की माँग की गयी। जिसपर श्री झा द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन / निवेदन समर्पित किया गया।

श्री संजय कुमार झा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संयुक्त निबंधक –सह– संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं श्री झा के लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा द्वारा गोदाम निर्माण एवं राईस मिल निर्णय मद में वृद्धि की स्वीकृति जिला स्तरीय समन्वय समिति से तो प्राप्त की गयी लेकिन उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को नहीं भेजा गया। उनके द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति / सहमति के ही राशि समितियों के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी, जो वित्तीय अनियमितता का प्रतीक है। फलस्वरूप श्री संजय कुमार झा के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आधार पर वृहद शास्ति के तहत उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत कटौती 3(तीन) वर्षों के लिए करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–2749 दिनांक–09.06.2025 द्वारा उक्त विभागीय प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। जिस पर आयोग के पत्रांक–2328 दिनांक–

अतः श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी) के तहत उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 03 (तीन) वर्षों के लिए करने का दंड संसूचित किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(कुमारी आरती)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोशागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–710/2016

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार झा, तत्कालीन महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, अररिया सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–आशीर्वाद भवन, विशाल फ्लैक्सों के नजदीक, पोस्ट+थाना+जिला–बेतिया, पिन–845438, मोबाईल नं0–9304335672 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....
8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपिः– सरकार के सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि०को०(रा०)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–2328 दिनांक–29.08.2025 /सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–8, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 01 एवं 08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

8/नि०को०(रा०)विभागीय–710/2016

ई–मेल

प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक ......5878....../ पटना, दिनांक 25/11/25

8/नि०को०(रा०)विभागीय–710/2016

प्रतिलिपिः– लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी०प्रबंधक, सहकारिता विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।

1
1592
24-11-2025